

## कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी GANGANAGAR, राजस्थान

क्रमांक: 187

दिनांक 25-7-2017

संचित

प्रबंध समिति

AKAL ACADEMY

विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8-क के उप- नियम(4) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 13820 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यक्त हैं/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, AKAL ACADEMY पता AKAL ACADEMY Sri Karanpur- Padampur BY PASS 10 Z, Sri Ganganagar गाम पचायत/ शहरी स्थानीय निकाय 10 Z ब्लॉक SRI GANGANAGAR को शैक्षिक सत्र 2017-18 से निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता है:-

मान्यता का प्रकार	क्रमोन्नति
मान्यता का माध्यम	English
मान्यता के वर्ष से ही कक्षा 7 एवं 8 के संधालन की अनुमति	Yes

- मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा 8 से आगे मान्यता/सबद्रता की कोई वाध्यता अतिनिहित नहीं होगी।
- विद्यालय, जि शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का केंद्रीय अधिनियम स.35) और राजस्थान जि शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधो का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा-1 में या, स्थानिकता, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस - पड़ोस के 'कमजूर वर्ग' और 'अभावग्रस्त समूह' से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक जि शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा। ऐसा करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान जि शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधो के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस (Capitation Fee) संरहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छांटाई (Screening) प्रक्रिया का पात्र नहीं बनाएगा।
- विद्यालय आगे के सबूत के ज्ञानव ने किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा।
- विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि
  - (I) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;
  - (II) कोई बालक शारीरिक ढंड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा;
  - (III) किसी बालक को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोडे की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा;
  - (IV) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान जि शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा- अधिकारित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा;
  - (V) 2009 के अधिनियम के उपबंधो के अनुसार नियोग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए;
  - (VI) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा(1) के अधीन अधिकारित न्यूनतम अहताओं सहित भर्ती किये जाएं।